दृष्टि The Vision

Quick Book

भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

IAS, PCS सहित अन्य एकदिवसीय परीक्षाओं (जैसे– NDA, CDS, CAPF, SSC, CPO, UGC-NET इत्यादि) के लिये समान रूप से उपयोगी

दृष्टि The Vision

YouTube /Drishtiias

जुड़िये दृष्टि आई.ए.एस. के ONLINE PLATFORM से

सिविल सेवा परीक्षा की अपनी तैयारी को और अधिक धारदार और आसान बनाने के लिए दृष्टि आई.ए.एस के Youtube चैनल Drishti IAS को आज ही SUBSCRIBE करें और लाभ उठाइये हमारे विभिन्न कार्यक्रमों से।

PROGRAMMES

Concept Talk

Audio Article

To The Point

Govt. Plans

Strategy

Topper's View

Mock Interview

आप दृष्टि IAS की वेबसाइट www.drishtiias.com पर उपलब्ध लिंक से भी हमारे Youtube चैनल पर जा सकते हैं।

YouTube /Drishtiias

भारतीय संविधान
एवं
राजव्यवस्था
(द्वितीय संस्करण)

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501

Website:
www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail :
booksteam@groupdrishti.com

द्वितीय संस्करण- जुलाई 2018

मूल्य : ₹ 220

प्रकाशक

दृष्टि पब्लिकेशन्स,
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

✸ इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।

✸ हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

✸ सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।

✸ **© कॉपीराइट:** दृष्टि पब्लिकेशंस, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

✸ एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द

प्रिय पाठको,

'दृष्टि पब्लिकेशन्स' की Quick Book शृंखला की प्रथम कड़ी 'भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था' के द्वितीय संस्करण को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें हार्दिक आनंद की अनुभूति हो रही है। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन जून 2017 में किया गया था जिसे पाठकों ने हाथों-हाथ लिया और काफी सराहा। पाठक वर्ग की प्रतिक्रिया इतनी उत्साहजनक थी कि विगत 12 महीनों में इसे 3 बार रीप्रिंट करना पड़ा। आज यह पूर्णत: संशोधित और अद्यतन रूप में आपके सम्मुख विद्यमान है। गौरतलब है कि Quick Book शृंखला को लाने के पीछे हमारा उद्देश्य यह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हेतु सामान्य अध्ययन के विषयों पर बाज़ार में ऐसी किसी संक्षिप्त, सारगर्भित एवं प्रामाणिक पुस्तक का अभाव था जो उस विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम की कम समय में रिवीज़न करने में सहायक हो सके। अभ्यर्थियों द्वारा इस तरह की पाठ्य-सामग्री की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए हमने इस पर काम करना प्रारंभ किया। Quick Book शृंखला की अब तक प्रकाशित हमारी सारी पुस्तकें अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पूर्णत: खरी उतरी हैं।

जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन पर मज़बूत पकड़ बनाए बिना सफलता प्राप्त करना असंभव है और प्रतिवर्ष प्रत्येक परीक्षा में 'भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था' विषय पर आधारित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। नि:संदेह इस कड़ी से संबंधित पाठ्य-सामग्री की बाज़ार में कमी नहीं है लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनमें से अधिकांश पुस्तकें परंपरागत पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। साथ ही, ये पुस्तकें अशुद्धियों की अधिकता एवं अपडेशन के अभाव के कारण परीक्षोपयोगी भी नहीं रह जातीं। बाज़ार में इस विषय पर जो एक-दो ठीक-ठाक पुस्तकें हैं, वे चार से पाँच सौ पृष्ठों के ग्रंथ हैं जिन्हें पढ़ना एवं परीक्षा के समय उनसे रिवीज़न करना अभ्यर्थियों के लिये एक कठिन चुनौती है और सच तो यह है कि बिना रिवीज़न के किसी भी परीक्षा में सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती।

अभ्यर्थियों की इन्हीं समस्याओं का समाधान करने का संकल्प हमारी 15 सदस्यीय टीम ने लिया। 'भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था' जैसे व्यापक विषय को लगभग 220 पृष्ठों में समेटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। हमारी टीम ने इस चुनौती को स्वीकार किया और लगभग 4 महीनों के अथक परिश्रम के बाद सफलतापूर्वक इस कार्य को संपन्न किया। इस पुस्तक को लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इसकी भाषा सरल एवं सहज हो जिससे अभ्यर्थियों को भारतीय संविधान की जटिलताओं को समझने में कोई परेशानी न आए। विषय-वस्तु को रोचक बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण तथ्यों को फ्लोचार्ट, तालिका, बॉक्स इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। पुस्तक को विश्वसनीय बनाने के लिये तथ्यों एवं सूचनाओं की जाँच मानक स्रोतों से की गई है। साथ ही, पारिभाषिक शब्दों की जटिलता को दूर करने के लिये उन्हें अंग्रेज़ी भाषा में भी लिखा गया है। पुस्तक में किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ न रह जाएँ, इसके लिये कई चरणों में इसका अतिसूक्ष्म निरीक्षण भी किया गया है।

पुस्तक में हमने संबंधित विषय की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिये उन्हें करेंट अफेयर्स के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है। 23 अध्यायों में बँटी इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक परीक्षाओं के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के मानकों के अनुरूप सुसज्जित है। प्रत्येक खंड के अंत में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों के अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भविष्य में पूछे जा सकने वाले प्रश्नों का भी उत्तर सहित संकलन है। इन प्रश्नों का अभ्यास आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा जिससे परीक्षा भवन में 'भारतीय संविधान और राजव्यवस्था' के प्रश्नों को हल करने में आप सहजता महसूस करेंगे। हमारा प्रयास यही है कि हम आपकी सफलता में सक्रिय भागीदारी करें और इसके लिये हम निरंतर प्रयासरत भी हैं।

पुस्तक को पढ़कर अब आप ही तय करेंगे कि यह आपकी अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरी, पर मुझे अगाध विश्वास है कि यह पुस्तक आपकी तैयारी और सफलता में उपयोगी सिद्ध होगी। वैसे तो 'टीम दृष्टि' द्वारा पुस्तक की कई चरणों में सूक्ष्मतम जाँच की गई है, लेकिन कोई भी कृति सौ प्रतिशत दोषरहित नहीं होती। उसमें कुछ कमियों का रह जाना स्वाभाविक है। मेरा निवेदन है कि आप इस पुस्तक को पाठक के साथ आलोचक की निगाह से भी पढ़ें। अगर आपको इसमें कोई कमी दिखे **तो अपनी बात बेझिझक '8130392355' नंबर पर वाट्सएप मैसेज से भेज दें।** आपकी टिप्पणियों के आधार पर हम पुस्तक के आगामी संस्करणों को और बेहतर बना सकेंगे।

साभार,
प्रधान संपादक
दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

1.	भारतीय संविधान की विकास यात्रा	1-9
2.	भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएँ	10-16
3.	संविधान की प्रस्तावना	17-21
4.	भारत संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन	22-26
5.	नागरिकता	27-33
6.	मूल अधिकार	34-46
7.	राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व	47-51
8.	मूल कर्तव्य	52-54
9.	कार्यपालिका	55-74
10.	विधायिका	75-97
11.	न्यायपालिका	98-116
12.	केंद्र-राज्य संबंध	117-133
13.	संघ राज्यक्षेत्रों की शासन व्यवस्था	134-138
14.	कुछ राज्यों के लिये विशेष उपबंध	139-145
15.	भाषा संबंधी उपबंध	146-150
16.	आपात उपबंध	151-155
17.	अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र	156-159
18.	स्थानीय स्वशासन	160-171
19.	आयोग/परिषद्/अधिकरण	172-191
20.	भारत में निर्वाचन एवं दलीय व्यवस्था	192-197
21.	भारत में सुशासन	198-204
22.	संविधान संशोधन	205-213
23.	भारतीय संविधानः एक नज़र में ...	214-220

1 भारतीय संविधान की विकास यात्रा
The Journey of Indian Constitution

- संविधान क्या है?
- संविधान का महत्त्व
- संवैधानिक विकास के चरण
  - रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773
  - एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781
  - पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
  - चार्टर अधिनियम, 1813
  - चार्टर अधिनियम, 1833
  - चार्टर अधिनियम, 1853
  - भारत शासन अधिनियम, 1858
  - भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861
  - भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892
  - भारतीय परिषद् अधिनियम (मॉर्ले-मिंटो सुधार), 1909
  - भारत शासन अधिनियम, 1919
  - भारत शासन अधिनियम, 1935
  - भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
- स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल (1946)
- स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल (1947)
  - बाल्कन प्लान/डिकी बर्ड प्लान/इस्मा प्लान
- अभ्यास प्रश्न

संविधान क्या है? (What is Constitution?)

संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज़ होता है, जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढाँचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है।

प्रत्येक संविधान, उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है, तथा सभी अन्य विधियाँ इसी पर आधारित होती हैं। संविधान एक जड़ दस्तावेज़ नहीं होता, बल्कि यह निरंतर पनपता रहता है। वर्षों से चली आ रही परम्परायें भी देश के शासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

संविधान का महत्त्व (Importance of Constitution)

- संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा?
- समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है।
- समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा, निर्धारित करता है।
- यह समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। (न्यूनतम समन्वय व आपसी विश्वास हेतु)
- यह समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है।
- संविधान, राजव्यवस्था के तीन प्रमुख अंगों-कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है।
- यह राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है।
- संविधान एक आइना है जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है।

संविधान और राजव्यवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिश शासन से ग्रहण किये गए हैं, ब्रिटिशों द्वारा समय-समय पर लाए गए अधिनियमों ने भारतीय सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा/ढाँचे को तैयार किया है।

संवैधानिक विकास के चरण (Stages of Constitutional Development)

रेग्युलेटिंग एक्ट, *1773 (Regulating Act, 1773)*

इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्त्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं–

- बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया।
- कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व चार सदस्यों वाले परिषद् के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई।

2 भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएँ
The making of the Indian Constitution and its Salient Features

- पृष्ठभूमि
- संविधान सभा का गठन
- संविधान सभा की कार्यविधि
  - उद्देश्य प्रस्ताव
  - भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा हुए परिवर्तन
  - संविधान सभा द्वारा किये गये अन्य कार्य
- संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियाँ
  - बड़ी समितियाँ
  - छोटी समितियाँ
- संविधान सभा के वाचन
  - प्रथम वाचन
  - द्वितीय वाचन
  - तृतीय वाचन
- संविधान की विशेषताएँ
- अभ्यास प्रश्न

पृष्ठभूमि (Background)

- भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम. एन. रॉय द्वारा रखा गया।
- वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया।
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही।
- नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन् 1940 के 'अगस्त प्रस्ताव' के नाम से जाना जाता है।
- ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में 'क्रिप्स मिशन' (सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्त्व में) संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया (लीग द्वारा दो स्वायत्त राज्यों की मांग के कारण)।

संविधान सभा का गठन (Making of the Constituent Assembly)

- क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन (लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर) को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिये एक बुनियादी ढाँचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे 'संविधान सभा' का नाम दिया गया।

कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार

- प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थीं। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट की व्यवस्था रखी गई।
- संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें तथा देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की जानी थीं।
- 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों तथा चार का चयन दिल्ली, अजमेर-मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ़ कमिश्नर के प्रांतों (प्रत्येक में से एक-एक) से किया जाना था।
- प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों– मुसलमान, सिख और सामान्य (मुस्लिम और सिख के अलावा) में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बाँटा जाना था।
- प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके के मतदान से किया जाना था।
- देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था।

- संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी।
- संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिये जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें एवं 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुईं।

3 संविधान की प्रस्तावना
Preamble of the Constitution

- प्रस्तावना क्या है?
- प्रस्तावना के मुख्य तत्त्व
  - संविधान का स्रोत
  - संविधान का स्वरूप
  - संविधान का उद्देश्य
- प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द
  - हम, भारत के लोग
  - संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न
  - समाजवादी
  - पंथनिरपेक्ष
  - लोकतंत्रात्मक
  - गणराज्य
  - न्याय
  - स्वतंत्रता
  - समता
  - बंधुत्व
  - व्यक्ति की गरिमा
  - राष्ट्र की एकता और अखंडता
- प्रस्तावना की उपयोगिता
- क्या प्रस्तावना परिवर्तनीय/संशोधनीय है?
- अभ्यास प्रश्न

प्रस्तावना क्या है? (What is Preamble?)

प्रस्तावना, भारतीय संविधान की भूमिका की भाँति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है।

- प्रसिद्ध न्यायविद् व संविधान विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के 'परिचय पत्र' की संज्ञा दी है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में रखे गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' से हुआ है। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 'उद्देशिका' कहकर भी संबोधित किया जाता है।
- प्रस्तावना, अमेरिकी संविधान (प्रथम लिखित संविधान) से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है।
- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी', पंथनिरपेक्ष, और 'अखंडता' शब्द शामिल किये गए।

प्रस्तावना (Preamble)

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिये

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

प्रस्तावना के मुख्य तत्त्वों को एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं–

प्रस्तावना के मुख्य तत्त्व

संविधान का स्रोत	संविधान का स्वरूप	संविधान का उद्देश्य
हम भारत के लोग, अर्थात् जनता	• संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न • समाजवादी • पंथनिरपेक्ष • लोकतंत्रात्मक • गणराज्य	• न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक) • स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना) • प्रतिष्ठा और अवसर की समता • व्यक्ति की गरिमा • राष्ट्र की एकता और अखंडता • बंधुता

प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द

"हम, भारत के लोग" ("We, the people of India")

"हम, भारत के लोग.....अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

अर्थात् भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को बनाया, स्वीकार किया तथा स्वयं को अर्पित अर्थात् अपने ऊपर लागू किया गया है। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है।

4 भारत संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन

Union of India and its Territory and Reorganisation of States

- राज्यों का संघ
- राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति
- देशी रियासतों का एकीकरण
- मूल संविधान (1949) में भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण
- राज्य पुनर्गठन आयोग
  - धर आयोग
  - फज़ल अली आयोग
- 1956 के बाद बने नए राज्यों व संघशासित प्रदेशों का विवरण
- भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौता
- अभ्यास प्रश्न

राज्यों का संघ (Union of States)

संवैधानिक उपबंध: भारतीय संविधान के भाग-1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्यक्षेत्र का वर्णन किया गया है।

- **अनुच्छेद 1 – संघ का नाम और राज्यक्षेत्र**
  - संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा। जिसमें 'भारत' शब्द देश का नाम व 'संघ' शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है।
  - राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे, जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
  - भारत के राज्यक्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे–
    (क) राज्यों के राज्यक्षेत्र
    (ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र
    (ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किये जाएँ।

नोट: भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है, क्योंकि–
- भारत राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है।
- कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिये स्वतंत्र नहीं हैं अर्थात् भारत 'विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' है।

- **अनुच्छेद 2 – नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना**

संसद, विधि द्वारा ऐसे निर्बधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है।

  - अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को दो प्रकार की शक्ति प्राप्त है। प्रथम, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और द्वितीय, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। पहले का संबंध उन राज्यों से है, जो पहले से ही विद्यमान हैं। दूसरा उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से स्थापित हैं परंतु भारत संघ में शामिल नहीं हैं।

नोट: अनुच्छेद 2 क-सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था, जो स्वतंत्र देश था। इसे 36वें संविधान संशोधन, 1975 द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया।

राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति (Parliament's Power relating to the reorganisation of States)

- **अनुच्छेद 3 – नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन**
  (क) किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर, दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है।
  (ख) किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है।
  (ग) किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है।
  (घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है।
  (ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है।
- **अनुच्छेद 4** - इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन (अनुच्छेद-2); नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन (अनुच्छेद-3) संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।

5 नागरिकता
Citizenship

- नागरिकता का अर्थ
- संवैधानिक उपबंध
- नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकारों में अंतर
  - भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार
  - विदेशियों को प्राप्त विशेषाधिकार
- कानूनी दर्ज़े के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग
  - नागरिक
  - अन्यदेशीय व्यक्ति
  - राज्यविहीन व्यक्ति
  - शरणार्थी
- भारतीय नागरिकता का स्वरूप
- एकल नागरिकता के अपवाद
- नागरिकता अधिनियम, 1955
  - नागरिकता का अर्जन
    - जन्म
    - वंशानुगत
    - पंजीकरण
    - देशीयकरण
    - क्षेत्र सम्मिलित होने पर
  - नागरिकता की समाप्ति
    - नागरिकता का परित्याग
    - बर्खास्तगी
    - वंचित किये जाने पर
- विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे
- अनिवासी भारतीय (NRIs); भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) तथा भारत के समुद्रपारीय नागरिक (OCI) में समानता व असमानता के बिंदु
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015
- अभ्यास प्रश्न

नागरिकता का अर्थ (Meaning of Citizenship)

- नागरिकता का सामान्य अर्थ-व्यक्ति और राज्य के अंतर्संबंधों की उद्घोषणा है। यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है, जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है, जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किये गए हों और जो उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखते हों।
- नागरिकता में यह तथ्य भी सम्मिलित है कि व्यक्ति का अपने राष्ट्र/राज्य के प्रति स्थायी निष्ठा भाव तो हो ही साथ में राज्य द्वारा व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी हेतु कुछ अधिकार व कर्तव्य भी दिये जाएँ, जिनका प्रयोग वह स्वयं के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ समाज कल्याण हेतु भी करे। अत: नागरिकता कतिपय व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है।

संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provisions)

- भारतीय संविधान के भाग-II में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है।
- भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में अलग-अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान नहीं है, संपूर्ण भारत के लिये एक ही प्रकार की व्यवस्था है। गौरतलब है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है-स्टेट व फेडरेशन की पृथक्-पृथक् नागरिकताएँ।

भाग-2 नागरिकता

अनुच्छेद 5 - संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता।

अनुच्छेद 6 - पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।

अनुच्छेद 7 - पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।

अनुच्छेद 8 - भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।

अनुच्छेद 9 - विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।

अनुच्छेद 10 - नागरिकों के अधिकारों का बना रहना।

अनुच्छेद 11 - संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।

- संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। अत: नागरिकता स्थायी उपबंध जैसी न होकर नियमानुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है, जो 26 जनवरी, 1950, संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने। (अनुच्छेद 11)
- संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 को लागू किया और आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन भी किये गए, जो मुख्यत: निम्न हैं-

6 मूल अधिकार
Fundamental Rights

- मूल अधिकार क्या हैं?
- संवैधानिक उपबंध
- मूल अधिकारों की विशेषता
- संविधान में वर्णित मूल अधिकार
- मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद
- अनुच्छेद 12– राज्य की परिभाषा
- अनुच्छेद 13– मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ
  - अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 368 में संबंध
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधियों के अर्थ एवं परिधि को स्पष्ट करने वाले सिद्धांत
  - आच्छादन का सिद्धांत
  - पृथक्करणीयता का सिद्धांत
  - अधित्याग का सिद्धांत
- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
  - अनुच्छेद 14 - विधि के समक्ष समता
    - विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण में अंतर
    - विधि के समक्ष समता के अपवाद
  - अनुच्छेद 15- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
  - अनुच्छेद 16- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
  - अनुच्छेद 17–अस्पृश्यता का अंत
  - अनुच्छेद 18–उपाधियों का अंत
- स्वतंत्रता का अधिकार, (अनुच्छेद 19–22)
  - अनुच्छेद 19–वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
  - अनुच्छेद 20–अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
  - अनुच्छेद 21–प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
    - विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा यथोचित विधि प्रक्रिया में अंतर
    - अनुच्छेद 21 के संदर्भ में उच्चतम व उच्च न्यायालय के फैसले
    - अनुच्छेद 21क
  - अनुच्छेद 22–कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
- शोषण के विरुद्ध अधिकार: (अनुच्छेद 23–24)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार: (अनुच्छेद 25–28)
  - अनुच्छेद 25- अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
  - अनुच्छेद 26- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
  - अनुच्छेद 27 - किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिये करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता
  - अनुच्छेद 28 - कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार: (अनुच्छेद 29–30)
  - अनुच्छेद 29 - अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
  - अनुच्छेद 30 - शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
- अनुच्छेद 31–संपत्ति का अनिवार्य अर्जन
- अनुच्छेद 32 – संवैधानिक उपचारों का अधिकार
  - 32(2) – रिट:
    - बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus)
    - परमादेश (Mandamus)
    - प्रतिषेध (Prohibition)
    - उत्प्रेषण (Certiorari)
    - अधिकार पृच्छा (Quo-warranto)
- उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के अधिकार में अंतर
- मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध
- अभ्यास प्रश्न

7 राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
Directive Principles of State Policy-DPSP

- राज्य के नीति निदेशक तत्त्व
  - संवैधानिक उपबंध
  - निदेशक तत्त्वों का महत्त्व
  - विभिन्न विचारकों का राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के संबंध में विचार
  - संविधान के भाग IV में उल्लिखित नीति निदेशक तत्त्व (अनुच्छेद 36 – 51)
  - राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों का वर्गीकरण
  - राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में किये गए संशोधन
  - संविधान के अन्य भागों में उल्लिखित निदेशक तत्त्व
  - निदेशक तत्त्वों की आलोचना
  - मूल अधिकार व निदेशक तत्त्वों में टकराव
  - निदेशक तत्त्वों का क्रियान्वयन
  - मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में अंतर
- अभ्यास प्रश्न

नीति निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy)

- राज्य के नीति निदेशक तत्त्व संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों का उद्देश्य 'लोक-कल्याणकारी राज्य' की स्थापना करना है।
- जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिये नीति निदेशक तत्त्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य है। नीति निदेशक तत्त्व वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ-प्रदर्शक के रूप में रखा है।

(स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान कर जहाँ यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उचित तरीके से हो सके; तो वहीं राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों को शामिल कर इस बात की भी व्यवस्था की गई कि राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी करनी चाहिये जो सामाजिक न्याय के लिये वांछनीय है।)

संवैधानिक उपबंध *(Constitutional Provisions)*

संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्त्वों का वर्णन किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है।

संविधान सभा के सलाहकार बी. एन. राव द्वारा सलाह दी गई थी कि अधिकारों को दो वर्गों में बाँटा जाना चाहिये–
(i) वे अधिकार, जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं एवं (ii) वे अधिकार, जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।

इसी आधार पर प्रवर्तित अधिकारों के अंतर्गत भाग- III में मूल अधिकारों को रखा गया और अप्रवर्तनीय अधिकारों (Unenforceable Rights) जिसका तात्पर्य कुछ ऐसे नैतिक निदेशों से था, जो राज्य के अधिकारियों को नैतिक प्रेरणा दे सके, उन्हें भाग-IV के अंतर्गत नीति निदेशक तत्त्वों के रूप में समाहित किया गया।

निदेशक तत्त्वों का महत्त्व *(Importance of Directive Principles)*

- 'लोक-कल्याणकारी राज्य' की स्थापना करना।
- आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना।
- भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार; अधिकांश योजनाएँ इससे प्रेरित हैं।
- इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है।
- जब कभी न्यायपालिका के सम्मुख कोई संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न हुई है, न्यायपालिका ने संविधान की प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों को ध्यान में रखकर संविधान को समझने का प्रयास किया है।
- वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जनहित याचिकाओं के अंगर्तत जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गई है और जीवन के अधिकार में आजीविका, ही निदेशक तत्त्वों में वर्णित हैं।

विभिन्न विचारकों का राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के संबंध में विचार *(Thoughts of different thinkers regarding to the Directive Principles of State Policy)*

- **डॉ. अंबेडकर** – "नीति निदेशक तत्त्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राजव्यवस्था के लक्ष्य 'आर्थिक लोकतंत्र' को निर्धारित करते हैं जैसा कि 'राजनीतिक लोकतंत्र' में प्रकट होता है।"
- **ग्रेनविल ऑस्टिन** – "निदेशक तत्त्व, सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम हैं।"
- **बी. एन. राव** – "नीति निदेशक तत्त्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिये शैक्षिक महत्त्व है।"

8 मूल कर्तव्य
Fundamental Duties

- मूल कर्तव्य
- संवैधानिक उपबंध
- 51क में निहित मूल कर्तव्यों की सूची
- मूल कर्तव्यों की प्रवर्तनीयता
- मूल कर्तव्यों के संदर्भ में किये गये सरकारी प्रयास
- मूल कर्तव्यों का महत्त्व
- अभ्यास प्रश्न

मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)

- भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ-साथ मूल कर्तव्यों को भी स्थान प्राप्त है। चूँकि अधिकारविहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्यविहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। अतः यह एक-दूसरे के पूरक हैं।
- विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में मूल अधिकार तो हैं, लेकिन मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं है। इसका प्रमुख उदाहरण अमेरिकी संविधान है। साम्यवादी देशों में मूल कर्तव्यों की घोषणा की परंपरा दिखाई पड़ती है, उदाहरणस्वरूप-भूतपूर्व सोवियत संघ।

संवैधानिक उपबंध *(Constitutional Provisions)*

- मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। तभी **सरदार स्वर्ण सिंह** के नेतृत्व में गठित समिति ने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिये।
- इस समिति की अनुशंसा पर ही 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 के बाद भाग-4क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया था।
- 86वें संविधान संशोधन, 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता/संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें।
- भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है।

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह–	
1.	संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2.	स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
3.	भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे।
4.	देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5.	भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6.	हमारी-सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
7.	प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे।
8.	वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
9.	सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
10.	व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।
11.	माता-पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के, यथास्थिति, अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें।

मूल कर्तव्यों की प्रवर्तनीयता *(Enforceability of Fundamental Duties)*

- मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं कराए जा सकते हैं अर्थात् किसी नागरिक द्वारा अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा हो तो न्यायालय द्वारा उसे दंडित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से यह नीति-निदेशक तत्त्वों से समानता रखता है। यही कारण है कि कभी-कभी व्यंग्यात्मक लहजे में मूल कर्तव्य को 'निरर्थक

9 कार्यपालिका
The Executive

- संघ की कार्यपालिका
  - राष्ट्रपति
    - राष्ट्रपति का निर्वाचन
      - राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल
      - राष्ट्रपति के लिये अर्हताएँ, शपथ एवं शर्तें
      - राष्ट्रपति की पदावधि
      - राष्ट्रपति पद की रिक्तता की स्थिति में प्रावधान
    - राष्ट्रपति पर महाभियोग
      - महाभियोग में शामिल होने वाले सदस्य
      - राष्ट्रपति के पद की रिक्तता
    - राष्ट्रपति की शक्तियाँ
      - कार्यकारी शक्तियाँ
      - वित्तीय शक्तियाँ
      - सैन्य शक्तियाँ
      - विधायी शक्तियाँ
      - न्यायिक शक्तियाँ
      - आपातकालीन शक्ति
    - राष्ट्रपति की वीटो शक्ति
    - राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
    - अध्यादेश की अवधि (विवाद)
    - राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति
    - राष्ट्रपति से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद
  - भारत का उप-राष्ट्रपति
  - भारत का प्रधानमंत्री
  - केंद्रीय मंत्रिपरिषद्
  - भारत का महान्यायवादी
- राज्य की कार्यपालिका
  - राज्यपाल
  - मुख्यमंत्री
  - मंत्रिपरिषद्
  - महाधिवक्ता
- अभ्यास प्रश्न

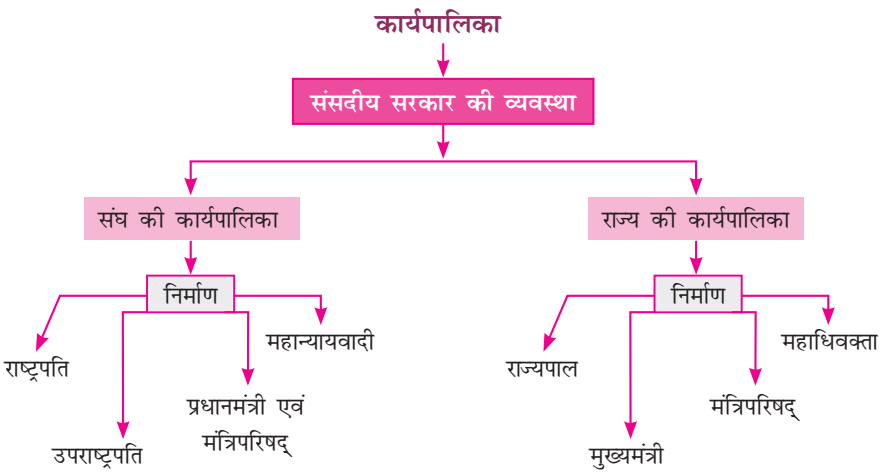

- भारतीय संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। जहाँ एक तरफ अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 के माध्यम से केंद्र में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है तो वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 के माध्यम से राज्यों के लिये संसदीय व्यवस्था का प्रावधान करता है।

नोट: विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त जम्मू-कश्मीर राज्य के लिये यह व्यवस्था लागू नहीं होती, क्योंकि इस राज्य का अपना संविधान है।

- संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है परंतु सरकार की राष्ट्रपति

10 विधायिका
Legislature

- संघीय विधायिका
- संसद का गठन एवं संरचना
  - राज्य सभा (उच्च सदन) का गठन
  - राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन
  - राज्य सभा के सदस्यों की योग्यता
  - राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल
  - राज्य सभा के पदाधिकारी
  - राज्य सभा की शक्तियाँ एवं कार्य
  - लोक सभा (निम्न सदन) का गठन
  - लोक सभा के सदस्यों का चुनाव
  - लोक सभा के सदस्यों की योग्यता
  - लोक सभा की अवधि
  - लोक सभा के पदाधिकारी
  - लोक सभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की पदावधि तथा पद से हटाए जाने की प्रक्रिया
  - लोक सभा की शक्तियाँ एवं कार्य
- संसद के सत्र
- संसद की कार्यवाही
- संसदीय विशेषाधिकार
- संसद में विधायी प्रक्रिया
  - विधेयक के प्रकार
- संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया
- संसदीय समितियाँ
- विभिन्न प्रकार की निधियाँ
- राज्य का विधानमंडल
  - विधानपरिषद्
  - विधान सभा
- विधानमंडल के पदाधिकारी
- विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध
- राज्यों की विभिन्न प्रकार की निधियाँ
- विधानमंडल के मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार
- अभ्यास प्रश्न

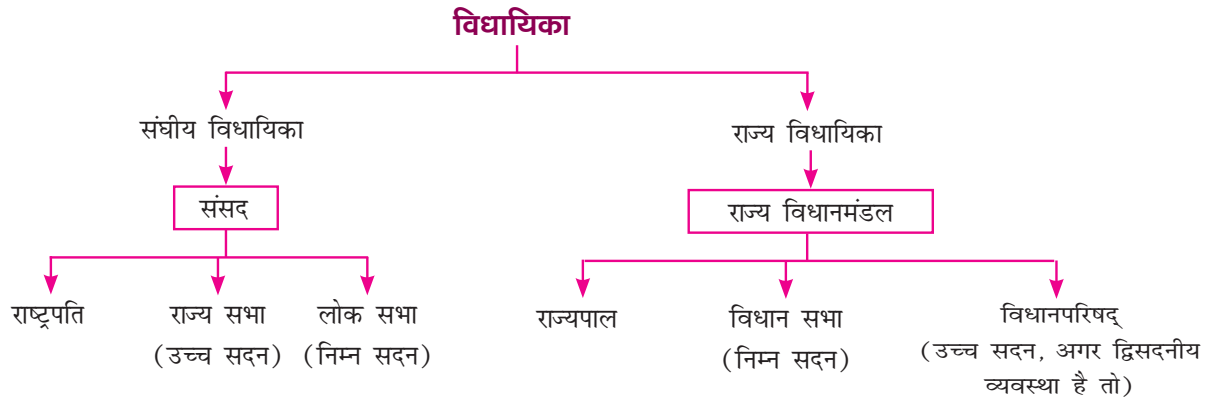

संघीय विधायिका (Federal Legislature)

- संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें दो सदन– राज्य सभा (उच्च सदन) और लोक सभा (निम्न सदन) है।
- लोक सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है एवं यह एक अस्थायी सदन है। यह कभी भी भंग हो सकती है तो वहीं राज्य सभा एक स्थायी सदन है अर्थात् इसका विघटन नहीं होता है।

11 न्यायपालिका
Judiciary

- न्यायपालिका के विभिन्न स्तर
- संघीय न्यायपालिका
  - सर्वोच्च न्यायालय-संवैधानिक प्रावधान
  - सर्वोच्च न्यायालय का गठन
  - न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया
  - न्यायाधीशों की अर्हताएँ
  - न्यायाधीशों की शपथ
  - न्यायाधीशों का कार्यकाल
  - न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया
  - वेतन व भत्ते
  - तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
  - सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
  - कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
  - पद की रिक्ति
  - सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ
  - सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि
  - न्यायालय की स्वतंत्रता
  - अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य
- राज्य न्यायपालिका
  - उच्च न्यायालय-संवैधानिक प्रावधान
  - उच्च न्यायालयों का गठन
  - उच्च न्यायालयों की संख्या
  - न्यायाधीशों की अर्हताएँ
  - न्यायाधीशों की नियुक्ति
  - न्यायाधीशों की शपथ
  - न्यायाधीशों का कार्यकाल
  - वेतन एवं भत्ते
  - न्यायाधीशों का स्थानांतरण
  - पद की रिक्ति
  - कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
  - अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति
  - सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
  - उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ
  - उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता
- अधीनस्थ न्यायपालिका एवं अन्य उप-स्तर
  - अधीनस्थ न्यायालय-संवैधानिक उपबंध
  - अधीनस्थ न्यायालय का ढाँचा
  - लोक अदालत
  - परिवार न्यायालय
  - ग्राम न्यायालय
  - मोबाइल कोर्ट
  - फास्ट ट्रैक कोर्ट
  - ई-अदालत तथा आभासी अदालत
- विशेष उद्देश्य न्यायालय
- अभ्यास प्रश्न

न्यायपालिका के विभिन्न स्तर
(Various Levels of the Judiciary)

- भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय है।

  उच्चतम न्यायालय → उच्च न्यायालय → ज़िला और सत्र न्यायालय

- उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को सम्मिलित रूप में 'उच्चतर न्यायपालिका (Higher Judiciary)' कहते हैं तो वहीं उच्च न्यायालयों के नीचे के सभी न्यायालयों को मिलाकर 'निम्नतर न्यायपालिका (Lower Judiciary) या अधीनस्थ न्यायपालिका (Subordinate Judiciary)' का निर्माण होता है।
- निम्नतर न्यायपालिका के कई उप-स्तर पाए जाते हैं, जैसे-ज़िला एवं सत्र न्यायालय।
- सभी निम्नतर न्यायपालिका प्रशासनिक दृष्टि से उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हैं अर्थात् उच्च न्यायालय इनके निर्णयों की अपील सुनने के साथ-साथ इनके प्रशासन की निगरानी भी करता है।
- उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से इन पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई नियंत्रण नहीं होता।

12 केंद्र-राज्य संबंध
Centre-State Relations

- भूमिका
- केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध
- सूचियों के निर्वचन का सिद्धांत
- राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना
- राज्य विधायिका पर केंद्र का नियंत्रण
- केंद्र तथा राज्यों की विधियों में टकराव
- केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंध
- केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध
- केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव के प्रमुख कारण
- सरकारिया आयोग
- पुंछी आयोग
- अंतर्राज्यीय परिषद्
- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद
  - नदी बोर्ड अधिनियम, 1956
  - अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956
- संविधानेत्तर संस्थाएँ
  - क्षेत्रीय परिषदें
  - पूर्वोत्तर परिषद्
- अभ्यास प्रश्न

भूमिका (Introduction)

- दोहरे शासन की व्यवस्था संघवाद की प्रमुख विशेषता है। भारत में भी संविधान ने शासन के दो स्तरों की स्थापना की है, जिसके केंद्र में एक संघीय सरकार है तथा चारों तरफ परिधि में राज्य सरकारें हैं।
- ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में कहीं भी 'केंद्र सरकार' का नामोल्लेख नहीं है; सर्वत्र 'संघ सरकार' का ही उल्लेख किया गया है। किंतु राजनैतिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रयोजनों के लिये 'केंद्र सरकार' शब्द का व्यापक प्रचलन है। वस्तुतः 'संघ' के बजाय 'केंद्र' शब्द की व्यावहारिक स्वीकार्यता यह रेखांकित कर देती है कि भारतीय संघवाद में 'केंद्राभिमुखता' अंतर्निहित है। फिर भी, संघवाद की भावना के अनुरूप भारतीय संविधान 'एक राजनीतिक व्यवस्था में दोहरे शासन' की संस्थापना करता है।
- भारतीय संविधान में केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े प्रावधान भाग-XI में दिये गए हैं। इस भाग में दो अध्याय हैं- पहले अध्याय में केंद्र एवं राज्यों के विधायी संबंध (अनुच्छेद 245-255) बताए गए हैं तथा दूसरे अध्याय में प्रशासनिक या कार्यकारी संबंधों (अनुच्छेद 256-263) का उल्लेख किया गया है।
- वित्तीय संबंधों की चर्चा भाग-XII के कुछ हिस्सों (अनुच्छेद 268-293) में की गई है। इसके अलावा आपातकाल की घोषणा से संबंधित प्रावधान भी केंद्र-राज्य संबंधों को प्रदर्शित करता है।
- केंद्र एवं राज्य के मध्य मुख्यतः 4 प्रकार की शक्तियों व दायित्वों का बँटवारा हो सकता है- विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक तथा वित्तीय।
- भारत में न्यायिक व्यवस्था के एकात्मक होने के कारण केंद्र एवं राज्य के मध्य केवल तीन प्रकार की शक्तियों (विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय) का ही वितरण किया जाता है।

नोट: अमेरिका में इन चारों शक्तियों का बँटवारा केंद्र एवं राज्यों में अलग-अलग किया गया है।

केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध (Legislative Relations Between the Centre & States)

- केंद्र अथवा राज्य के द्वारा किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति, विधायी शक्ति कहलाती है।
- भारतीय संविधान के भाग-XI में अनुच्छेद 245-255 तक केंद्र-राज्य विधायी संबंधों की विस्तृत चर्चा की गई है।
- केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बँटवारे को हम 'राज्यक्षेत्रीय विस्तार' एवं 'विषयों की दृष्टि से विधायी शक्तियाँ' नामक शीर्षक से समझ सकते हैं।
- यहाँ 'राज्यक्षेत्रीय विस्तार' से तात्पर्य केंद्रीय तथा राज्य विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से है तथा 'विषयों की दृष्टि से विधायी शक्तियों' का तात्पर्य केंद्रीय तथा राज्य विधायिका जिन विषयों पर कानून बना सकती है, से है।
- संविधान के अनुच्छेद 245(1) में यह प्रावधान है कि-

"इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या किसी भाग के लिये विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा।"

- संविधान द्वारा प्रदत्त यह शक्ति जहाँ केंद्र एवं राज्यों को विधि बनाने को प्रेरित करती है तो वहीं संविधान के कई अनुच्छेद संसद व राज्य विधानमंडलों की शक्ति को सीमित भी करते हैं। जैसे-

13 संघ राज्यक्षेत्रों की शासन व्यवस्था
(Governance System of Union Territories)

- संघ राज्यक्षेत्रों का परिचय
- संघ राज्यक्षेत्रों का ऐतिहासिक विकास
- संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
- संघ राज्यक्षेत्रों की शासन व्यवस्था
  - संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन
  - संघ राज्यक्षेत्रों के निर्माण के कारण
  - संघ राज्यक्षेत्रों में विधानमंडल
  - संघ राज्यक्षेत्रों में अध्यादेश
  - राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्ति
  - संघ राज्यक्षेत्रों के लिये उच्च न्यायालय
- दिल्ली के लिये विशेष उपबंध
  - दिल्ली का वर्तमान प्रशासनिक ढाँचा
  - राज्य व संघ राज्यक्षेत्रों में तुलना
  - संघ राज्यक्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तुलना से संबंधित तालिका
  - अभ्यास प्रश्न

संघ राज्यक्षेत्रों का परिचय
(Introduction of Union Territories)

भारतीय संविधान के भाग-1 में भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र को तीन वर्गों में बाँटा गया है-

1. राज्य (States)
2. संघ राज्यक्षेत्र (Union Territories)
3. अर्जित राज्यक्षेत्र (Acquired Territories)

वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 7 संघ राज्यक्षेत्र हैं, जबकि अर्जित राज्य की सूची में कोई क्षेत्र शामिल नहीं है।

संघ राज्यक्षेत्रों का ऐतिहासिक विकास
(Historical Development of Union Territories)

- 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर संसद ने 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956' के माध्यम से भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र को 2 वर्गों (राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र) में विभाजित किया।
- आमतौर पर शुरुआती दौर में शामिल संघ राज्यक्षेत्रों में वही क्षेत्र थे, जो भाग 'ग' व भाग 'घ' के राज्यों में शामिल थे। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा भाग 'ग' तथा भाग 'घ' के राज्यों को संघ राज्यक्षेत्रों में शामिल किया गया था, जैसे- हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आदि।
- कालांतर में इनमें से कुछ राज्यक्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया एवं विदेशों से अर्जित कुछ राज्यक्षेत्रों (जैसे-पॉण्डिचेरी, दमन व दीव, दादरा एवं नागर हवेली) को तथा कुछ अन्य क्षेत्रों (जैसे-चंडीगढ़) को संघ राज्यक्षेत्रों में शामिल कर लिया गया।
- वर्तमान में कुल 7 क्षेत्र इस वर्ग में शामिल हैं- दिल्ली, चडीगढ़, पुदुच्चेरी, दादरा एवं नागर हवेली, दमन व दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप।

संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
(Constitutional Provisions relating to Union Territories)

- संविधान के भाग-VIII (अनुच्छेद 239-241) में संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिये गए हैं।
  - अनुच्छेद 239 : संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन।
  - अनुच्छेद 239क : कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिये स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन।
  - अनुच्छेद 239कक : दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध।
  - अनुच्छेद 239कख : संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध।
  - अनुच्छेद 239ख : विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति।
  - अनुच्छेद 240 : कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिये विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति।
  - अनुच्छेद 241 : संघ राज्यक्षेत्रों के लिये उच्च न्यायलय
- 14वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1962 के द्वारा अनुच्छेद 239 क जोड़ा गया।
- 27वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 के द्वारा अनुच्छेद 239 ख जोड़ा गया।
- 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 के द्वारा अनुच्छेद 239 कक तथा अनुच्छेद 239 कख को शामिल किया गया।

14 कुछ राज्यों के लिये विशेष उपबंध
Special Provisions for Some States

- राज्यों की विशेष स्थिति का संवैधानिक प्रावधान
- जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा
  - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  - अनुच्छेद 370 : जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध
  - विभिन्न कानूनविदों की राय (अनुच्छेद 370 के निरसन पर)
  - जम्मू और कश्मीर पर भारतीय संविधान का प्रभाव
- कुछ अन्य राज्यों के लिये विशेष उपबंध
  - महाराष्ट्र व गुजरात
  - नागालैंड
  - असम
  - मणिपुर
  - आंध्र प्रदेश
  - सिक्किम
  - मिज़ोरम
  - अरुणाचल प्रदेश
  - गोवा
  - कर्नाटक
- अभ्यास प्रश्न

राज्यों की विशेष स्थिति का संवैधानिक प्रावधान

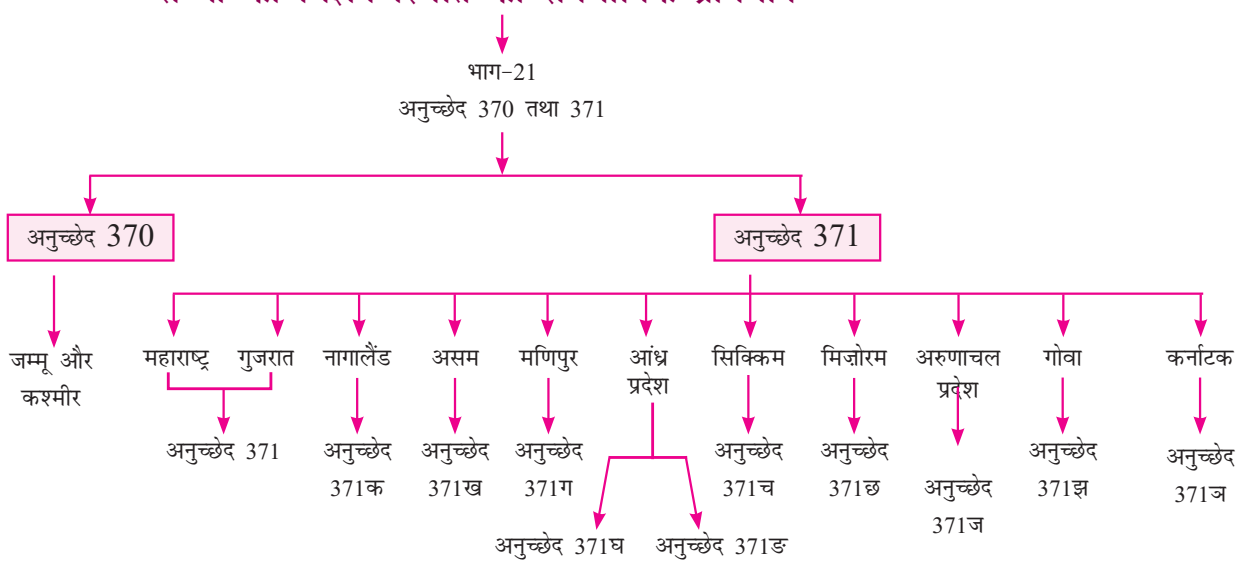

जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा
(Special Status of Jammu and Kashmir)

- भारतीय संविधान के भाग-21 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है।
- भारतीय संविधान द्वारा कुल-29 राज्यों में से 12 राज्यों को (जम्मू और कश्मीर सहित) विशेष दर्जा प्रदान किया गया है।
- जम्मू और कश्मीर की स्वायत्तता शेष अन्य राज्यों की स्वायत्तता से तुलनात्मक दृष्टि से अत्यंत व्यापक है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि *(Historical Background)*

- भारत की आज़ादी के समय कश्मीर एक देशी रियासत थी, जिस पर वंशानुगत राजा का शासन था।

15 भाषा संबंधी उपबंध
Provisions relating to Language

- भाषा क्या है?
- राजभाषा
  - राजभाषा से संबंधित संवैधानिक उपबंध
    - संघ की भाषा
    - प्रादेशिक भाषाएँ
    - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा
    - भाषा संबंधी विशेष निदेश
- हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस
- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3
- राजभाषा नियम, 1976
- अभ्यास प्रश्न

भाषा क्या है? (What is Language?)

- भाषा को वैचारिक आदान-प्रदान का माध्यम कहा जाता है। "भाषा यादृच्छिक प्रतीकों की वह सामाजिक संप्रेषण व्यवस्था है जिसमें ध्वनियाँ व शब्द तो सीमित होते हैं परंतु सृजनात्मक प्रयोग के कारण वाक्य असीमित हो जाते हैं।"
- एक समाज के विकास की पहचान भाषा एवं उसके शब्दों के चयन से भी की जा सकती है। अत: भाषा हमारे विकास, अस्मिता, सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है, जिसके बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है।

राजभाषा (Official Language)

भारत की स्वाधीनता प्राप्ति से पहले हिंदी में 'राजभाषा' शब्द का प्रयोग प्राय: नहीं मिलता। सबसे पहले सन् 1949 ई. में भारत के महान नेता श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में 'नेशनल लैंग्वेज' (National Language) के समानांतर 'स्टेट लैंग्वेज' (State Language) शब्द का प्रयोग इस उद्देश्य से किया कि 'राष्ट्रभाषा' (National Language) और 'राजभाषा' (State Language) में अंतर रहे और दोनों के स्वरूप को अलगाने वाली विभेदक रेखा को समझा जा सके। संविधान सभा की कार्रवाई के हिंदी-प्रारूप में 'स्टेट लैंग्वेज' का हिंदी-अनुवाद 'राजभाषा' किया गया और इस प्रकार पहली बार यह शब्द प्रयोग में आया। बाद में, संविधान का प्रारूप तैयार करते समय, 'स्टेट लैंग्वेज' के स्थान पर 'ऑफिशियल लैंग्वेज' (Official Language) शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त समझा गया और 'ऑफिशियल लैंग्वेज' का हिंदी अनुवाद 'राजभाषा' ही किया गया ('सरकारी' या 'कार्यालयी' भाषा नहीं)। इस परिप्रेक्ष्य में, 'राजभाषा' शब्द का तात्पर्य है- राजा (शासक) अथवा राज्य (सरकार) द्वारा प्राधिकृत भाषा। भारतीय लोकतंत्र में शासन या सरकार का गठन संविधान की प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, अत: दूसरे शब्दों में 'राजभाषा का तात्पर्य है- संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधानमंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिये स्वीकृत भाषा।

राजभाषा से संबंधित संवैधानिक उपबंध
(Constitutional Provisions related to Official Language)

- उल्लेखनीय है कि संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। इसके अधीन हिंदी को केवल 'राजभाषा' के रूप में रखा गया है।
- भारतीय संविधान के भाग-17 में उल्लिखित अनुच्छेद 343-351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं।
- अनुच्छेद 343-351 में राजभाषा से संबंधित उपबंधों को 4 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं:

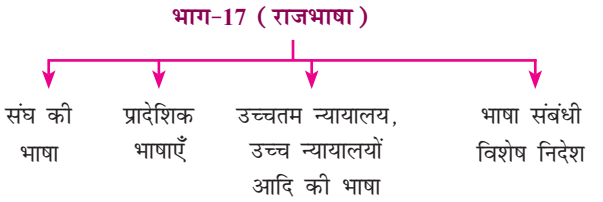

संघ की भाषा (Language of the Union)
अनुच्छेद 343 (संघ की राजभाषा)

- अनुच्छेद 343(1) उपबंधित करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किंतु संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा।
- अनुच्छेद 343(2) के अनुसार, "खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी भारतीय संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्षों की अवधि तक संघ के सभी शासकीय कार्यों हेतु अंग्रेज़ी भाषा का ठीक वैसे ही प्रयोग किया जाता रहेगा, जैसा पूर्ववत् होता था।"

संघ की भाषा

- अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा
- अनुच्छेद 344: राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति

16 आपात उपबंध
Emergency Provisions

- संवैधानिक प्रावधान
  - उद्देश्य
- आपातकालीन उपबंधों का वर्गीकरण
  - राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद 352)
    - अभी तक की गई राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणाएँ
  - राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
    - राज्य आपात के संबंध में न्यायिक पुनर्विलोकन
    - सरकारिया आयोग की सिफारिशें
  - वित्तीय आपात (अनुच्छेद 360)
- तुलनात्मक अध्ययन
- अभ्यास प्रश्न

संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

- भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लिखित हैं।
- भारतीय संविधान सामान्य स्थितियों में संघात्मक स्वरूप के अनुसार कार्य करता है तो वहीं आपातकालीन परिस्थितियों में यह एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है।

उद्देश्य

इस प्रकार के उपबंधों को संविधान में जोड़ने की मुख्य वजह देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता एवं लोकतांत्रिक-राजनैतिक व्यवस्था को यथावत् सुरक्षित बनाए रखना है।

- आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिये गए हैं, जबकि आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिये गए हैं।
- आपात उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता भी है जिसके अंतर्गत आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय शासन व्यवस्था बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के संघीय स्वरूप से एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है।

आपात उपबंधों का वर्गीकरण (Classification of Emergency Provisions)

भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को तीन भागों में बाँटा गया है–

1. राष्ट्रीय आपात – अनुच्छेद 352
2. राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता/राष्ट्रपति शासन – अनुच्छेद 356
3. वित्तीय आपात – अनुच्छेद 360

राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद 352)

राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा	• अनुच्छेद 352 में निहित है कि 'युद्ध' 'बाह्य आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। • मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' की जगह 'आंतरिक अशांति' शब्द का उल्लेख था। • 44वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा 'आंतरिक अशांति' को हटाकर उस स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' को रखा गया।
उद्घोषणा की प्रक्रिया एवं अवधि	• अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं कर सकता, जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे न भेज दें। यह प्रावधान 44 वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा जोड़ा गया। • ऐसी उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक होगा। • राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है तथा एक महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर प्रवर्तन में नहीं रहता, किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर छह माह के लिये प्रवर्तन में बना रह सकता है।
	• केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव • कार्यपालिका पर प्रभाव • विधानमंडल पर प्रभाव

17 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र
The Scheduled and Tribal Areas

- संवैधानिक प्रावधान
- पाँचवीं व छठी अनुसूची की तुलनात्मक विशेषताएँ
- पाँचवीं अनुसूची के राज्य व सम्मिलित क्षेत्र
- छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र
- अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद : एक नज़र में
- अभ्यास प्रश्न

संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)

- भारतीय संविधान के भाग–10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किये गए हैं।
- संविधान की पाँचवीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम– इन राज्यों को छोड़कर)। [(अनुच्छेद 244(1)]
- संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक् व्यवस्था की गई है और उनके प्रशासन के लिये उपबंध किये गए हैं। [अनुच्छेद 244(2)]
- 22वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 244क जोड़ा गया है, जो संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि के द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना और उसके लिये स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद् या दोनों का सृजन कर सकता है।

पाँचवीं तथा छठी अनुसूची की तुलनात्मक विशेषताएँ

पाँचवीं अनुसूची की विशेषताएँ (अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन)	छठी अनुसूची की विशेषताएँ (जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन)
अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम के अलावा किसी अन्य राज्य के राज्यक्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ***केंद्र तथा राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ*** • राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देशित और ज़रूरत पड़ने पर राज्य सरकार को इन क्षेत्रों में समुचित ढंग से प्रशासन चलाने के लिये बाध्य करना है। • अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिवर्ष एवं जब राष्ट्रपति चाहे, उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट सौंपे। ***जनजातीय सलाहकार परिषद्*** • जो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है या जिन राज्यों में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, किंतु अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हों, **राष्ट्रपति के निर्देश से** जनजातीय सलाहकार परिषद् का गठन अनिवार्य होगा।	• उत्तर पूर्व के चार राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है। ***स्वायत्त ज़िले एवं स्वायत्त क्षेत्र*** • इन जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त ज़िले के रूप में प्रशासित किया जाएगा। अगर किसी ज़िला में विभिन्न अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हों तो राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में विभाजित कर सकेगा। • राज्यपाल को लोक अधिसूचना द्वारा स्वायत्त ज़िले में स्वायत्त क्षेत्र बनाने, पहले से शामिल स्वायत्त क्षेत्र को हटाने, नए स्वायत्त ज़िले बनाने, स्वायत्त ज़िले के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने, दो या अधिक स्वायत्त ज़िले को मिलाकर एक बनाने तथा नाम बदलने का अधिकार होगा। ***ज़िला परिषद् तथा प्रादेशिक/क्षेत्रीय परिषद् का गठन*** इसमें कुल 30 सदस्य होंगे (4 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित व 26 सदस्य वयस्क मताधिकार से निर्वाचित)। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है (बशर्ते परिषद् को पहले विघटित न कर दिया जाए) तथा मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। अगर किसी स्वायत्त ज़िले के भीतर स्वायत्त क्षेत्र का गठन किया गया है तो ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिये पृथक् क्षेत्रीय परिषद् होगी।

18 स्थानीय स्वशासन
Local Self Government

- स्थानीय स्वशासन का आशय
- भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास
- भारत में पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियाँ
- 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
- 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख उपबंध
- अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार
  - 1996 का पेसा अधिनियम
- नगरीय स्थानीय स्वशासन
  - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  - वर्तमान स्थिति
- 74वें संविधान संशोधन के प्रमुख उपबंध
- अभ्यास प्रश्न

स्थानीय स्वशासन का आशय
(Meaning of Local Self Government)

गाँव और ज़िला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं तथा इससे आशय ऐसे शासन से है, जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक हो, जिससे वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सके व प्रशासन में निर्णायक भूमिका अदा कर सके। यह राजनीतिक जागरूकता के साथ-साथ आम आदमी के सशक्तीकरण का परिचायक है।

- स्थानीय स्वशासन में 'विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था' (Decentralized Government System) तथा 'सहभागितामूलक लोकतंत्र' (Participatory Democracy) का आदर्श अंतर्निहित है।

भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास
(Development of Local Self-government in India)
भारत में स्थानीय स्वशासन
ऐतिहासिक पहलू

- चोल साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य की आयंगर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के बीज परिलक्षित होते हैं।
- 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत गाँवों के लिये जमींदार नियुक्त किये गए, जो पंचायतों से स्वतंत्र एवं सरकार के प्रति जवाबदेह थे।
- लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का 'मैग्नाकार्टा' कहा जाता है। यह पहला अवसर था, जब स्थानीय शासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया। लॉर्ड रिपन को 'स्थानीय शासन का जनक' कहा जाता है।
- 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया।
- 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक व सुदृढ़ बनाया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक

- संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन के संबंध में दो खेमे हो गए– (i) स्थानीय स्वशासन के पक्षधर, (ii) स्थानीय स्वशासन के विरोधी।
- महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार के मुख्य प्रतिपादक थे एवं मुख्य समर्थकों में दादाभाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय आदि शामिल थे।
- इसके प्रखर विरोधी भीमराव अंबेडकर थे। इनके अनुसार, "स्थानीय स्वशासन सामंती, पुरुषवादी व जातिवादी सामाजिक ढाँचे का निर्माण करेगा।"
- अंततः संविधान सभा ने स्थानीय स्वशासन को नीति निदेशक तत्त्वों में अनुच्छेद 40 के तहत शामिल किया। अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया है कि "राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिये कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक है।"
- 2 अक्तूबर, 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई।
- 1950–1992 तक चरणबद्ध प्रयासों के बाद 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्ज़ा मिला।

भारत में पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियाँ
(Major Committees relating to the Panchayati Raj)
बलवंत राय मेहता समिति

यह समिति 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में योजना आयोग (वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया जा चुका है।) द्वारा 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' और 'राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम' के अध्ययन के लिये गठित की गई व नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें थीं–

19 आयोग/परिषद्/अधिकरण (Commission/Council/Tribunal)

- संवैधानिक निकाय
  - वित्त आयोग
  - संघ लोक सेवा आयोग
  - राज्य लोक सेवा आयोग
  - संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग
  - भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
  - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
  - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
  - निर्वाचन आयोग
- सांविधिक निकाय
  - केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण
  - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
  - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
  - राष्ट्रीय महिला आयोग
  - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
  - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
  - केंद्रीय सतर्कता आयोग
  - केंद्रीय सूचना आयोग
  - राष्ट्रीय हरित अधिकरण
  - बार काउंसिल ऑफ इंडिया
- केंद्रीय प्रस्ताव द्वारा स्थापित संस्थायें
  - योजना आयोग
  - नीति आयोग
  - राष्ट्रीय विकास परिषद्
  - भारत का विधि आयोग
- अभ्यास प्रश्न

संवैधानिक निकाय (Constitutional Bodies)

- भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के तहत जिन निकायों का उल्लेख है, उन्हें संवैधानिक निकाय माना जाता है। इन निकायों को सीधे संविधान से शक्ति प्राप्त होती है। इन निकायों के तंत्र में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिये संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है।
- इन निकायों के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन्हें पर्याप्त पद सुरक्षा प्रदान की गई है, और इन्हें संविधान में निर्दिष्ट विधियों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है। इनकी रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है।

अनुच्छेद	संबंधित निकाय
280	वित्त आयोग
315–323	संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग/संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग
148	भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
323 क	केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण
338	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
338 क	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
324	निर्वाचन आयोग

इस अध्याय में प्रमुख संवैधानिक निकायों के संदर्भ में चर्चा की गई है-

20 भारत में निर्वाचन एवं दलीय व्यवस्था
Elections and Party System in India

- संवैधानिक उपबंध
- भारत में निर्वाचन प्रणाली
  - निर्वाचन प्रणाली के प्रकार
    - फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम
    - एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
    - सूची व्यवस्था
- चुनाव के प्रकार
  - आम चुनाव
  - मध्यावधि चुनाव
  - उपचुनाव
- चुनाव सुधार से संबंधित समितियाँ एवं आयोग
  - किये गये विभिन्न महत्त्वपूर्ण सुधार
- दलीय व्यवस्था
  - भारत में दलीय व्यवस्था
    - बहुदलीय व्यवस्था
    - एकदलीय व्यवस्था
    - द्वि-दलीय व्यवस्था
- राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता
  - राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता के लिये दशाएँ
  - राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिये दशाएँ
- दल परिवर्तन कानून
  - निरर्हता
  - अपवाद
  - निर्धारण प्राधिकारी
  - नियम बनाने की शक्ति
- हित समूह और दबाव समूह
- भारत में दलों का वर्गीकरण
- अभ्यास प्रश्न

संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provisions)

- भारतीय संविधान के भाग-XV में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 324 में, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिये चुनाव आयोग नामक संस्था का उल्लेख किया गया है।
- भारत में निर्वाचन प्रणाली वयस्क मताधिकार पर आधारित है, जिसमें भारत का प्रत्येक नागरिक, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा जिसे संविधान या विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून/विधि के अधीन निरर्हित नहीं किया गया, मतदान का अधिकार होता है। निरर्हित करने के आधार अनिवास, चित्तविकृति, अपराध, भ्रष्ट या अवैध आचरण आदि हो सकते हैं।
- अनुच्छेद 325 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिये धर्म, मूलवंश, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं किया जा सकता अथवा इन्हीं आधारों पर वह व्यक्ति शामिल होने का दावा भी नहीं कर सकता।
- अनुच्छेद 327 संसद को विधायी शक्ति प्रदान करता है। उसके अनुसार वह संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन या उसके प्रत्येक सदन के निर्वाचनों से संबंधित सभी मामलों के बारे में कानून बना सकेगी। इनमें निर्वाचक-नामावलियों की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन तथा "ऐसे सदन या सदनों का सम्यक गठन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक" सभी अन्य मामले भी शामिल हैं।

भारत में निर्वाचन प्रणाली (Election System in India)

निर्वाचन प्रणाली के प्रकार

भारतीय निर्वाचन के संबंध में मुख्यत: दो प्रकार की पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं:

1. लोक सभा एवं राज्यों में विधान सभा चुनाव हेतु 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम' अपनाई जाती है।
2. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य सभा एवं राज्य विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है।

फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम (First Past the Post System)

- भारतीय राजव्यवस्था में लोक सभा व राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव के लिये यह प्रणाली अपनाई जाती है, जिसके अंतर्गत पूरे देश को जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों में बाँटकर उन क्षेत्रों के मतदाताओं द्वारा उम्मीदवार का चयन किया जाता है।
- जो उम्मीदवार सर्वाधिक मत प्राप्त करता है, भले ही वो डाले गए कुल मतों के आधे से कम ही क्यों न हों, विजयी घोषित होता है।
- इस व्यवस्था में सत्ता में वही दल आता है, जिसे बहुमत का जनादेश मिला हो।
- इस व्यवस्था की सबसे बड़ी सीमा यह है कि, इसमें केवल तुलनात्मक बहुमत का ध्यान रखा जाता है। अत: कई बार किसी चुनाव क्षेत्र में पड़े मतों का 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत मत पाने वाला प्रत्याशी भी विजेता घोषित कर दिया जाता है।

21 भारत में सुशासन
Good Governance in India

- सुशासन
  - सुशासन की आवश्यकता क्यों?
  - सुशासन के आवश्यक तत्त्व
  - भारत में सुशासन के पहलकारी कदम
  - भारत में सुशासन के समक्ष चुनौतियाँ
- ई-गवर्नेंस
  - ई-गवर्नेंस की विशेषताएँ
  - ई-गवर्नेंस के लाभ
  - भारत में ई-गवर्नेंस की पहल
  - ई-गवर्नेंस के मार्ग की बाधाएँ
- नागरिक घोषणापत्र
  - नागरिक घोषणापत्र विधेयक, 2011
  - नागरिक घोषणापत्र का महत्त्व
  - नागरिक घोषणापत्र के संदर्भ में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव
- ओम्बुड्समैन
  - भारत में ओम्बुड्समैन
  - वर्तमान लोकपाल कानून
  - वर्तमान लोकपाल कानून की समस्याएँ
- अभ्यास प्रश्न

सुशासन (Good Governance)

- 'सुशासन' का सामान्य अर्थ बेहतर तरीके से शासन से है। 'सुशासन' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1989 में विश्व बैंक द्वारा किया गया था। भारत में 1990 के बाद के दौर में इस शब्द का तेजी से प्रचलन बढ़ा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अच्छे शासन के लिये 'स्वराज' की संकल्पना की थी।
- 'सुशासन' का तात्पर्य शासन अथवा प्रशासन में नैतिक मूल्यों का प्रयोग किये जाने से है। इन मूल्यों में आमतौर पर सहभागिता, आमसहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावी और कार्यकुशल, न्यायसंगत और समावेशी, विधि का शासन आदि शामिल हैं।

सुशासन की आवश्यकता क्यों?
(Why is there a need for Good Governance?)

- स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में भ्रष्टाचार में निरंतर बढ़ोतरी हुई और विकास योजनाओं का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुँच पाया। इससे असंतोष व तनाव की स्थिति में भी बढ़ोतरी हुई। अत: आवश्यकतानुसार प्रशासन में सुशासन को बढ़ावा देकर समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये शासन में स्पष्टता बेहद आवश्यक है।
- विगत वर्षों में पर्यावरणीय कानूनों के निरंतर उल्लंघन के चलन में वृद्धि हो रही है। इससे व्यक्ति, समाज, देश एवं विश्व सभी को खतरा उत्पन्न हुआ है। अत: ऐसी गंभीर समस्याओं का निवारण सुशासन को बढ़ावा देकर बेहतर तरीके से नियमों/कानूनों के पालन में अंतर्निहित है।
- सुशासन से विकेंद्रीकृत शासन का सपना भी पूर्ण होता है और स्थानीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जा सकता है। इससे आम जनजीवन स्तर में सुधार दृष्टिगोचर होंगे तथा गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ सीमित समय में प्राप्त होंगी।

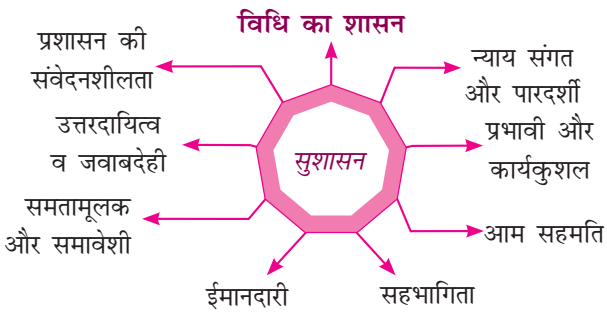

राष्ट्रीय ई-शासन योजना

राष्ट्रीय ई-शासन योजना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार की गई है। नागरिकों तथा व्यवसायियों को शासकीय सेवाएँ प्रदान करने में सुधार लाने के लिये मई 2006 में राष्ट्रीय ई-शासन योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को सार्वजनिक सेवा प्रदाता केंद्र के माध्यम से आम आदमी तक पहुँचाना, साथ ही इन सेवाओं में कार्यकुशलता, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। इस योजना के रूप में गाँव के लिये कंप्यूटर तथा इंटरनेट आधारित साझा सेवा केंद्रों की स्थापना की गई।

22 संविधान संशोधन : एक नज़र में
Constitutional Amendments at a Glance

- भूमिका
- संविधान संशोधन की प्रक्रिया
- संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण
- संविधान संशोधन की शक्ति पर लागू सीमाएँ
- वर्तमान में संसद की संविधान संशोधन की संवैधानिक स्थिति
- अभी तक किये गए प्रमुख संविधान संशोधन
- अभ्यास प्रश्न

भूमिका (Introduction)

दुनिया के किसी भी संविधान में परिवर्तन या संशोधन की प्रक्रिया का अपनाया जाना प्रगति का सूचक माना जाता है। बात चाहे संविधान की हो अथवा किसी व्यवस्था या समाज की हो, वो अपने अंदर आवश्यक परिवर्तनों को करके ही विकास की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। कोई भी संविधान निर्मात्री सभा यह दावा नहीं कर सकती कि उसके द्वारा संविधान में रखे गए प्रावधान सार्वकालिक प्रकृति के हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान को भी संशोधनीय बनाया गया है।

संविधान संशोधन के संबंध में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि "सभा ने यह नहीं माना कि संविधान अंतिम तथा निर्दोष है। सभा की यह धारणा नहीं है कि संविधान के संशोधन का अधिकार जनता को नहीं दिया जाए जैसा कि कनाडा ने किया है या संशोधन के लिये अत्यंत कठिन शर्त निर्धारित कर दी जाए जैसा कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। सभा ने संविधान संशोधन के लिये एक सरल प्रक्रिया अपनायी है। जो लोग संविधान से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें केवल दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करना है और यदि वे दो-तिहाई बहुमत भी अपने पक्ष में प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो यही समझा जाएगा कि संविधान के प्रति उन्हें जो असंतोष है, उसमें जनता उनके साथ नहीं है।" इस कथन से स्पष्ट है कि संविधान निर्माता संविधान को न तो कठोर (Rigid) बनाना चाहते थे और न ही पूर्णतः लचीला (Flexible)। उनके इन्हीं विचारों की झलक संविधान संशोधन संबंधी उपबंधों में दिखती है।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया (Procedure of Amendment of the Constitution)

भारतीय संविधान में संशोधन तीन प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है।

संविधान संशोधन	
साधारण बहुमत से (Simple Majority)	• ऐसे संशोधन के लिये दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति ही पर्याप्त है। • ऐसे उपबंधों का संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता है। • जैसे, अनुच्छेद- 2, 3, 4, 75, 97, 105(3), 106, 125, 148 आदि।
विशेष बहुमत से (Special Majority)	• जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढाँचे (Federal Structure) से है, उन्हें छोड़कर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 'संशोधन' माने जाने वाले शेष सारे उपबंध इसी वर्ग में शामिल हैं। • इसमें विधेयक को सदन की कुल संख्या का बहुमत हासिल होना चाहिये एवं प्रत्येक सदन में उस विधेयक को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई का समर्थन प्राप्त होना चाहिये।
संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन (Ratification) से पारित होने वाले विधेयक	• इस प्रकार के संशोधन का संबंध संघात्मक ढाँचे से है। • अनुच्छेद 368(2) के अनुसार इसे दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है एवं कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इस आशय का संकल्प (Resolution) पारित करके उसे अनुसमर्थन (Ratification) दिया जाए। • जैसे, अनुच्छेद- 54, 55, 73, 162, 241 आदि में किया जाने वाला संशोधन।

23 भारतीय संविधानः एक नज़र में ...
(Indian Constitution at a Glance)

भारतीय संविधानः एक नज़र में

भाग	विषय	संबंधित अनुच्छेद
I	संघ और उसका राज्य क्षेत्र	1 से 4
II	नागरिकता	5 से 11
III	मूल अधिकार	12 से 35
IV	राज्य की नीति के निदेशक तत्व	36 से 51
IV क	मूल कर्तव्य	51क
V	संघ अध्याय I- कार्यपालिका अध्याय II- संसद अध्याय III- राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अध्याय IV- संघ की न्यायपालिका अध्याय V- भारत का नियंत्रक- महालेखापरीक्षक	52 से 151 52 से 78 79 से 122 123 124 से 147 148 से 151
VI	राज्य अध्याय-I साधारण अध्याय II- कार्यपालिका अध्याय III- राज्य का विधानमंडल अध्याय IV- राज्यपाल की विधायी शक्ति अध्याय V- राज्यों के उच्च न्यायालय अध्याय VI- अधीनस्थ न्यायालय	152 से 237 152 153 से 167 168 से 212 213 214 से 232 233 से 237
VII	[पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य] 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरसित	238 (निरसित)
VIII	संघ राज्य क्षेत्र	239 से 242
IX	पंचायतें	243 से 243 ण (O)
IX क	नगरपालिकाएँ	243त (P) से 243 यछ (ZG)
IX ख	सहकारी समितियाँ	243 यज(ZH) से 243 यन (ZT)
X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 से 244 क
XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध अध्याय I- विधायी संबंध अध्याय II- प्रशासनिक संबंध	245 से 263 245 से 255 256 से 263
XII	वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद अध्याय I- वित्त अध्याय II- उधार लेना अध्याय III- संपत्ति, संविदाएँ, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएँ और वाद अध्याय IV- संपत्ति का अधिकार	264 से 300क 264 से 291 292 एवं 293 294 से 300 300 क

पिछले डेढ़ दशक से लगातार हिन्दी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ परिणाम

दृष्टि The Vision

किरण कौशल

3rd Rank

हिन्दी माध्यम में अब तक का सर्वश्रेष्ठ रैंक

अजय मिश्रा

5th Rank

लोकेश कुमार सिंह

10th Rank

प्रदीप राजपुरोहित

13th Rank

निशांत जैन

13th Rank

गंगा सिंह

33rd Rank

ज्योति शर्मा | अनिरुद्ध कुमार | अरविंद प्रताप सिंह | दिनेश कुमार यादव | अजय कुमार यादव | साक्षी गर्ग | राजीव कुमार चौधरी | बबीता रानी स्वैन | आदित्य कुमार झा | सोनल | प्रदीप कुमार द्विवेदी | आशुतोष शुक्ला

लाखन सिंह यादव | विकास मीणा | अनिल कुमार यादव | विजय सिंह गुर्जर | विकास सुडा | मुकेश कुमार लुनायत | चेतन कुमार मीणा | हेमेंद्र कुमार मीणा | अक्षय कुमार टेमरावाल | कांता जांगिड | विक्रम गंगवार | अशोक कुमार

अनिल कुमार वर्मा | रतन दीप गुप्ता | पंकज कुमार मीणा | पवन कुमार यादव | निलेश कुमार केशरी | आशीष कुमार | मनोज कुमार रावत | हिमांशु यादव | संदीप कुमार मीणा | धूपेंद्र रावत | शिव सिंह मीणा | कमलेश मीणा

गौरव कुमार सिंह | कृष्णकांत पाठक | वंदना प्रेयशी | श्वेता सिंघल | श्रीमन शुक्ला | वरुण राठी | सूफिया फारुकी | राज कमल यादव | नीलिमा | उदित प्रकाश | किंजल सिंह | शचींद्र प्रताप सिंह

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह | मुक्तानंद अग्रवाल | बलदेव पुरुषार्थ | नीतू कुमारी प्रसाद | नथमल डिडेल | मुकेश कुमार | ब्रह्मदेव तिवारी | दयानिधान पांडेय | मनीष कुमार | राजेश प्रधान | आर्द्रा अग्रवाल | रमेश वर्मा

अश्विनी मुदगल | नरेंद्र मीणा | मिथिलेश मिश्रा | गोविंद जयसवाल | अभिषेक सिंह | राहुल रंजन महिवाल | धनंजय सिंह भदौरिया | गिरवर दयाल सिंह | काना राम | शिल्पा गर्ग | दीपक आनंद | रूबल गुप्ता

आशीष सिंह | संगीता तेतरवाल | डॉ. विक्रांत पांडेय | कृष्णा वाजपेयी | सीमा त्रिपाठी | अजीत वसत | वैभव श्रीवास्तव | अवनीश कुमार सरण | अशोक मीणा | नितीश कुमार | अनूप कुमार सिंह | मनोज कुमार

प्रदीप कुमार | रानू साहू | अमित कुमार | गौरव गांधी | नीलम रानी | विवेक अग्रवाल | दीपि अग्रवाल | अजय कुमार | मनिता मलिक | ब्रजेश संत | अभिषेक सिंह | पुष्पेंद्र कुमार

प्रतिमा पारिक | श्रद्धा जोशी | दीपक वर्णवाल | सुधांशुधर मिश्र | मोहित अग्रवाल | नवनीत भसीन | इंद्रजीत महाथा | प्रवीण वर्मा | मुकेश झा | दिव्य मिश्रा | सुजीत कुमार | विवेक

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

ISBN 978-81-937195-5-8
9 788193 719558
मूल्य : ₹ 220